भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3198
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

सरकारी वकीलों के कार्य-निष्पादन के लिए मूल्यांकन तंत्र

3198. श्री परषोत्तमभाई रुपाला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और इसकी एजेंसियों के हितों की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वकीलों और सरकार के पैनल में शामिल वकीलों के कार्य-निष्पादन के लिए एक सुसंगत और व्यापक निगरानी/मूल्यांकन तंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार के प्रत्येक मामले से संबंधित सभी संगत आंकड़ों को अपलोड करने हेतु सरकार और सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश के सभी न्यायालयों/अधिकरणों के लिए मुकदमेबाजी भारसाधक प्रणाली है जो मामलों के आवंटन और पैनल काउंसेल के प्रदर्शन के संबंध में विधिक कार्य विभाग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । इसके अतिरिक्त, पैनल काउंसेल के प्रदर्शन के बारे में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त फीडबैक/शिकायतों की विधिवत जांच की जाती है और जहां कोई चूक पाई जाती है, वहां काउंसेल को पैनल से हटा भी दिया जाता है।

(ख) : विधि कार्य विभाग ने फरवरी 2016 में विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) आरंभ की है। यह एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है जिसका उपयोग भारत संघ से संबंधित सभी न्यायालय मामलों में निगरानी के लिए किया जाता है । इसके अतिरिक्त, यह अभिनव, पहुंच के लिए आसान है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उनके संगठनों, विधि अधिकारियों और पैनलबद्ध काउंसेलों के लिए चौबीस घंटे (24X7) उपलब्ध है, जिससे वे भारत संघ के मामलों से संबंधित डेटा अपलोड कर सकते हैं।

****